जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर।

बी.ए. नं0 832/2026

धरहरा थाना कांड संख्या– 43/2026.

प्रिंस कुमार.....आवेदक।

बनाम्

बिहार राज्य.....विपक्षी।

आवेदक की ओर से – श्री रजनी कांत मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी/सरकार की ओर से – श्री रामसेवक मंडल, विद्वान अपर लोक अभियोजक।

29.04.2026 आवेदक **प्रिंस कुमार** दिनांक 24.03.2026 से कारा में हैं, की तरफ से दाखिल नियमित जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा संचालित किया गया।

उभय पक्षों को सुना।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क दिए है कि आवेदक निर्दोष है तथा उन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 2 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन के पारा 3 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। यह वाद धरहरा थाना कांड सं0 42/2026 का पलटा वाद है। धारा 118(2) एवं 109 बीएनएस को छोड़कर अन्य धाराएं जमानतीय हैं। धारा 27 शस्त्र अधिनियम का आरोप नहीं बनता है। आवेदक दिनांक 24.03.2026 से कारा में है। आवेदक बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा आवेदक के जमानत का विरोध किया गया।

प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि सूचक हृदय नारायण यादव के टंकित आवेदन के आधार पर यह है कि दिनांक 22.03.2026 को समय 07:30 बजे शाम को प्रिंस कुमार ने सूचक के नाती अमन कुमार से कहा कि तुम्हारा बाप झूठा है। इसी बात पर दोनों में गाली–गलौज हुआ तथा प्रिंस कुमार अपनी नानी के साथ सूचक के घर आकर सूचक के पुत्र व पत्नी को मारपीट किया। जब सूचक प्रिंस कुमार के घर बोलने गया, तो मुन्ना यादव और प्रिंस कुमार ने सूचक के सिर पर फरसा से वार किया, जिससे सूचक का सिर कट गया। सूचक के इलाज के क्रम में सूचना मिली कि मुन्ना यादव एवं प्रिंस कुमार दोनों सूचक की पत्नी के साथ गाली–गलौज तथा गोलीबारी कर रहे हैं। सूचक के घर के सामने से एक गोली का खोखा मिला।

लगातार

29.04.2026. यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। सूचक ने आवेदन के साथ गोली का खोखा दारोगाजी को दिया। सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 329(4), 352, 351(2) 3(5) बीएनएस तथा 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक पर अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर सूचक के साथ मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप लगाया गया है। जख्मी के जख्म प्रतिवेदन के अनुसार चिकित्सक द्वारा जख्म को साधारण प्रकृति का बताया गया है। आवेदक पर लगाए गए आरोप सार्वभौमिक प्रतीत होता है। आवेदक दिनांक 24.03.2026 से कारा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थिति के आलोक में आवेदक को **पांच हजार रूपये का बंध पत्र साथ में समान राशि के दो प्रतिभू** दाखिल करने पर तथा विद्वान न्यायालय के संतुष्टि पर निम्न शर्तों पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :–

1. **आवेदक के दोनों जमानतदार उसके ग्रामीण होंगे।**
2. **आवेदक आरोप गठन तक न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे।**

लेखापित
Sd/-
(राकेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
29.04.2026.

प्रतिलिपि :– विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, तृतीय मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित आदेश की प्रति भेजी जाती है।

लेखापित

(राकेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
29.04.2026.